



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 417]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 25, 2017/ज्येष्ठ 4, 1939

No. 417]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 25, 2017/JYAISTHA 4, 1939

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2017

सा.का.नि. 516(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 24 की उप-धारा (2) के खंड (घ) और खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम एक रुपया के करेंसी नोट का मुद्रण नियम, 2017 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- मुद्रण**—एक रुपया के करेंसी नोट, परिचालन के लिए भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी करने के लिए नोट मुद्रणालयों में मुद्रित किए जाएंगे।
- एक रुपया के करेंसी नोट की विमाण और संरचना**—एक रुपया के करेंसी नोट, पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट विमाणों और संरचनाओं के अनुरूप होंगे।
- डिजाइन**—एक रुपया के करेंसी नोट का डिजाइन दूसरी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट होगा।
- मानक वजन और अनुज्ञात उपचार**—एक रुपया के करेंसी नोट के मुद्रण में मानक कागज भार और अनुज्ञात उपचार (सह्यता) तीसरी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट होगा।

प्रथम अनुसूची

(नियम 3 देखें)

नोट की विमाण	आकृति और आकार	कागज संरचना
(1)	(2)	(3)
एक रुपया करेंसी नोट	आयताकार 9.7 x 6.3 सें.मी.	100 प्रतिशत (कॉटन) अपरिष्कृत मात्रा (रेग कंटेंट)
		कागज का भार:- 90 जीएसएम (ग्राम प्रति वर्गमीटर)
		कागज की मोटाई - 110 माइक्रॉस

		मल्टीटोनल वाटर मार्क :- (i) 'सत्यमेव जयते' शब्दों के बगैर पटल में अशोक स्तंभ । (ii) मध्य भाग में अप्रकट संख्या '1' (iii) दांयी ओर ऊर्ध्वतः अप्रकट शब्द 'भारत' क्रमांकित होगा ।
--	--	---

दूसरी अनुसूची

(नियम 4 देखें)

(1) अग्रभाग:—

(क) इस भाग में श्री शक्तिकान्त दास, सचिव, वित्त मंत्रालय के द्विभाषीय हस्ताक्षर के साथ "Government of India" शब्दों के ऊपर "भारत सरकार" शब्द और 'सत्यमेव जयते' के साथ 2017 के "र" प्रतीक के साथ नए एक रुपया के सिक्के की प्रतिकृति और संख्या पैनल में बड़े अक्षर में 'L' अंतर्विष्ट है ।

(ख) नोट के निचले भाग में दांयी ओर काले रंग में बायें से दांयी ओर आरोही आकार में संख्यांकन होगा, जबकि पहले तीन अल्फान्यूमैरिक अक्षर (उपसर्ग) अपरिवर्तनीय आकार में होंगे ।

(2) पृष्ठभाग-इस भाग में पुष्प डिजाइन वाले "र" प्रतीक के साथ एक रुपया के सिक्के के चित्रण पर वर्ष 2017 के साथ "Government of India" शब्दों के ऊपर "भारत सरकार" शब्द अंतर्विष्ट है और इसके चारों ओर के डिजाइन में तेल खोज प्लेटफार्म, 'सागर सम्राट' का चित्र है और साथ ही भाषा पैनल में पंद्रह भारतीय भाषाओं में प्राधिकृत प्रतिदान मूल्य के साथ नीचे की ओर बीच में अंतरराष्ट्रीय संख्या में वर्ष संख्या अंतर्विष्ट है ।

(3) संपूर्ण रंग योजना – एक रुपया करेंसी नोट का रंग अग्रभाग में प्रचुरतया गुलाबी हरा और पृष्ठ भाग में अन्य रंगों का संयोजन है ।

तीसरी अनुसूची

(नियम 5 देखें)

अंकित मूल्य	प्राचल	मानक वजन	अनुज्ञात उपचार (सहयता)
(1)	(2)	(3)	(4)
एक रुपया	प्रयुक्त कागज का ग्रामेज	90 जीएसएम (ग्राम प्रतिवर्ग मीटर)	+/-3 जीएसएम
	कागज की मोटाई	110 माइक्रोन	+/-5 माइक्रॉस

[फा. सं. 03/09/2014-सीवाई-II]

शोभा बेसिल, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2017

G.S.R. 516(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) and clause (e) of sub-section (2) of section 24 of the Coinage Act, 2011 (11 of 2011), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Printing of One Rupee Currency Notes Rules, 2017.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Printing.—The One Rupee Currency Notes shall be printed at the note printing presses for issue under the authority of the Government of India for circulation.

3. Dimensions and compositions of One Rupee Currency Note.—The One Rupee Currency Notes shall conform to the dimensions and composition as specified in the First Schedule.

4. Design.—The design of One Rupee Currency Notes shall be as specified in the Second Schedule.

5. Standard weight and remedy allowed.—The standard paper weight and remedy (tolerance) allowed in printing of One Rupee Currency Notes shall be as specified in the Third Schedule.

THE FIRST SCHEDULE

(See rule 3)

Denomination of Note	Shape and Size	Paper Composition
(1)	(2)	(3)
One Rupee Currency Note	Rectangular 9.7 x 6.3 cms	100 per cent. (Cotton) Rag Content.
		Weight of Paper:- 90 GSM (Grams per Square Meter)
		Thickness of Paper:- 110 microns
		Multi tonal Watermarks:- (i) Ashoka Pillar in the window without words 'सत्यमेव जयते' (ii) Hidden Numeral '1' in the centre (iv) Hidden Word 'भारत' vertically arranged on right hand side.

THE SECOND SCHEDULE

(See rule 4)

(1) **Obverse:-**

(a) It contains the words 'भारत सरकार' above the words "Government of India" with the bilingual signature of Shri Shaktikanta Das, Secretary, Ministry of Finance and with the replica of New Rupee One coin with '₹' symbol of 2017 issued with 'सत्यमेव जयते' and capital Inset letter 'L' in numbering panel.

(b) The numbering shall be in black at right hand bottom portion of the Note in ascending size of numerals from left to right, while the first three alphanumeric characters (prefix) remains constant in size.

(2) **Reverse:-** It contains the words 'भारत सरकार' above the words "Government of India" with the year 2017 on the representation of the One Rupee coin with '₹' symbol having floral design and the surrounding design consists of picture of 'Sagar Samrat' the oil exploration platform and with the authentic rendering of value in fifteen Indian languages in language panel with the year figure shown on the centre bottom in international number.

(3) **Overall Colour Scheme:-** The colour of One Rupee Currency Note shall be predominantly pink green on obverse and reverse in combination with others.

THE THIRD SCHEDULE

(See rule 5)

Denomination	Parameter	Standard weight	Remedy (Tolerance) allowed
(1)	(2)	(3)	(4)
Rupee One	Grammage of Paper Used	90 GSM (Grams per Square Meter)	+/- 3 GSM
	Thickness of Paper	110 Microns	+/- 5 Microns

[F. No. 03/09/2014-Cy. II]

SHOBA BASIL, Under Secy.